

**उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)**

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	<p>आज्ञा विस्तृत रूप से</p> <p>63/80/8</p> <p>दाया</p>	विशेष विवरण
	<p>818-2</p> <p>राजेश्वरी (बाड़ी)</p> <p>उपखण्ड</p>	<p>फगावली फेच डुंडी वादी/</p> <p>पार्थी की तलाश थी प्रपुनवाफे</p> <p>पार्थी पत्र फेच का निवेदन</p> <p>किया कि दोनों पक्षों में आपसी</p> <p>राजिनामा हो गया है और प्रक(10)</p> <p>वापस लेना चाहते हैं। पार्थी</p> <p>पत्र पर बहस उत्पन्न हुई</p> <p>गयी बाद बहस पार्थी पत्र पार्थी-</p> <p>स्वीकार कर स्वीकार किया जाता</p> <p>है। फगावली फेच डुंडी लेना</p> <p>बाद तक तकमील दावाला देना है</p>	<p>शिष्या</p> <p>क्रिया</p> <p>पुस्तक</p>

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)